न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2025/120

अपील संख्या 113/2025 तारीख रजू 3.04.2025

जगदीश पुत्र लड्डूलाल गुर्जर निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार (स0मा0)। --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार, तहसील खण्डार। --- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 08.01.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 08/2022 मे पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्व ग्राम दौलतपुरा के आराजी ख0न0 799/503 रकबा 1.10 बीघा किस्म गै.मु.तलाई पर जिन्स धान लगाकर संवत् 2079 में अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि उक्त निर्णय दिनांक 07.09.2022 लायक अदालत मातहत विरूद्ध रिकार्ड एवं कानून के खिलाफ होने के कारण काबिले मन्सुखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने हुये व बिना जवाबदेई का मौका दिये हुये विवादित निर्णय दिनांक 07.09.2022 पारित कर एवं प्रार्थी अपीलान्ट को दण्डित कर भारी कानूनी भूल की है। इसलिये उक्त विवादित निर्णय दिनांक 07.09. 2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्ट की तामील कुनिन्दा ने प्रोपर तरीके से तामील करवायी तथा मनमाने तरीके से रिपोर्ट कर नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उक्त नोटिस की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश अपीलान्ट को बिना सुने हुये बिना अपना न्यायिक मस्तिष्क इस्तेमाल किये हुये पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट का उक्त आराजी ख0नं0 799/503 रकबा 1.10 बीघा किस्म गै0मु0 तलाई पर जिन्स धान पर सम्वत 2079 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का ने बिलकुल गलत एवं निराधार तथ्यों पर [illegible] पर गये हुये तथा मौके पर बिना साक्ष्यों के बयान लिये हुये अधीनस्थ [illegible] उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुये दण्डित कर [illegible] कानूनी भूल की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इसलिये उक्त विवादित निर्णय निरस्त होने योग्य है जबकि उक्त आराजी अपीलान्ट की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है जिसके समर्थन में अपील के साथ जमाबन्दी भी पेश की हुई है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2022 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट के पुत्र की तामील हुई है। अपीलार्थी बाद तामील नियत दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। वकील अपीलान्ट द्वारा पेश की गई जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त ख0नं0 799/503 पूर्व में अपीलान्ट की गैर खातेदारी में था जोकि नामा. सं. 1538 नि.दि. 06.09.2018 न्याया. आदेश के द्वारा सिवायचक किस्म गै.मु.तलाई दर्ज की जा चुकी है। परन्तु वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान वर्तमान में उक्त खातेदारी से अपीलान्ट का कब्जा हटा लेने बाबत कथन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर